राजस्थान सरकार
वित्त (आबकारी) विभाग

क्रमांकः प.13(5)वित्त / आब / 2017 पार्ट   दिनांकः 01/06/2026

आज्ञा

आबकारी प्रवर्तन एवं निरोधक बल

राज्य के परिवर्तित बजट 2024–2025 के बिन्दु संख्या–180 में आबकारी विभाग के वर्तमान प्रशासनिक संरचना को सुदृढ़ करते हुए एकीकृत ''**आबकारी प्रवर्तन एवं निरोधक बल**'' के गठन किये जाने की घोषणा की गयी है।

उक्त बजट घोषणा के क्रियान्वयन के लिए ''आबकारी प्रवर्तन एवं निरोधक बल'' के गठन तथा आबकारी विभाग की प्रशासनिक संरचना का पुनर्गठन निम्नानुसार किया जाता हैः–

1–आबकारी विभाग की प्रशासनिक संरचना के पुनर्गठन के अंतर्गत वर्तमान में आबकारी सामान्य शाखा के जिला आबकारी अधिकारी तथा वृत्त निरीक्षक कार्यालयों व निवारक शाखा के उपायुक्त, आबकारी अधिकारी, सहायक आबकारी अधिकारी कार्यालयों तथा आबकारी थानों को समाप्त किया जाता है।

2–''**आबकारी प्रवर्तन एवं निरोधक बल**'' के अधीन अतिरिक्त आयुक्त, जोन, उपायुक्त / आबकारी अधिकारी तथा कनिष्ठ आबकारी अधिकारी कार्यालय निम्नानुसार सृजित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैः–

(i) **अतिरिक्त आयुक्त, जोन कार्यालय (8)ः–** आबकारी आयुक्त के अधीन 8 संभाग स्तरीय अतिरिक्त आयुक्त, **आबकारी प्रवर्तन एवं निरोधक बल** जोन कार्यालय होंगे। अतिरिक्त आयुक्त, **आबकारी प्रवर्तन एवं निरोधक बल** जोन के पद पर वर्तमान अनुसार 6 अधिकारी राजस्थान प्रशासनिक सेवा के तथा 2 पद पर राजस्थान आबकारी सेवा (सामान्य शाखा) के अतिरिक्त आयुक्त अथवा राजस्थान आबकारी सेवा (निवारक शाखा) के संयुक्त आयुक्त का पदस्थापन किया जा सकेगा। प्रत्येक अतिरिक्त आयुक्त जोन कार्यालय में अतिरिक्त आयुक्त के साथ 1–1 उपायुक्त / आबकारी अधिकारी, 3–3 कनिष्ठ आबकारी अधिकारी के पद स्वीकृत किए जाते हैं। साथ ही, मंत्रालयिक, अधीनस्थ एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा के वर्तमान पद नवसृजित कार्यालयों में हस्तान्तरित किए जाते हैं।

(ii) **उपायुक्त / आबकारी अधिकारी कार्यालय (53)ः–**अतिरिक्त आयुक्त, जोन के अधीन 53 उपायुक्त / आबकारी अधिकारी, आबकारी प्रवर्तन एवं निरोधक बल कार्यालय होंगे। इनमें वर्तमान अनुसार 8 अधिकारी राजस्थान प्रशासनिक सेवा के तथा शेष पदों पर राजस्थान आबकारी सेवा (सामान्य शाखा) के उपायुक्त / जिला आबकारी अधिकारी (सामान्य / वरिष्ठ वेतनमान) व राजस्थान आबकारी सेवा (निवारक शाखा) के उपायुक्त / आबकारी अधिकारी का पदस्थापन किया जायेगा। इन कार्यालयों में वरिष्ठ वेतनमान का अधिकारी पदस्थापित होने पर उपायुक्त कार्यालय तथा सामान्य / कनिष्ठ वेतनमान का अधिकारी पदस्थापित होने पर आबकारी अधिकारी कार्यालय कहलाएंगे। प्रत्येक उपायुक्त / आबकारी अधिकारी कार्यालय में उपायुक्त / आबकारी अधिकारी के साथ 1–1 सहायक आबकारी अधिकारी, 1–1 कनिष्ठ आबकारी अधिकारी के पद स्वीकृत किए जाते हैं। साथ ही, मंत्रालयिक, अधीनस्थ एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा के समाप्त हुए कार्यालयों के पद नव सृजित कार्यालयों में पुनः वितरित किए जाएंगे।

(iii) **उपायुक्त प्रवर्तन कार्यालय (2)ः–**राज्य में अवैध मदिरा की गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण किये जाने हेतु आबकारी प्रवर्तन एवं निरोधक बल के अन्तर्गत आबकारी आयुक्त के सीधे नियंत्रण में दो राज्य स्तरीय उपायुक्त (प्रवर्तन) कार्यालय होंगे। इनका मुख्यालय क्रमशः उदयपुर तथा जयपुर में होगा। इन कार्यालयों में उपायुक्त के साथ प्रत्येक कार्यालय में 1–1 सहायक आबकारी अधिकारी, 1–1 कनिष्ठ आबकारी अधिकारी, 1–1 उप निरीक्षक, 1–1 सहायक उपनिरीक्षक, 6–6 सिपाही तथा 1–1 कनिष्ठ सहायक के पद भी सृजित किए जाते हैं।

(iv)**उपायुक्त (विधि) कार्यालय (2):**—जयपुर एवं जोधपुर में वर्तमान में स्वीकृत जिला आबकारी अधिकारी (अभियोजन) कार्यालयों का नाम परिवर्तन कर उपायुक्त, **आबकारी प्रवर्तन एवं निरोधक बल** (विधि) जयपुर एवं जोधपुर कार्यालय किया जाता है।

(v)**कनिष्ठ आबकारी अधिकारी कार्यालय (286):**—उपायुक्त/आबकारी अधिकारी के अधीन आबकारी प्रवर्तन एवं निरोधक बल में 111 कनिष्ठ आबकारी अधिकारी (ग्रेड–I) तथा 175 कनिष्ठ आबकारी अधिकारी (ग्रेड–II) कार्यालय होंगे, इनमें राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा (सामान्य शाखा) के आबकारी निरीक्षक (ग्रेड–I/II) व राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा (निवारक शाखा) के प्रहराधिकारी (ग्रेड–I/II) का पदस्थापन किया जायेगा। प्रत्येक कनिष्ठ आबकारी अधिकारी कार्यालय में 1–1 कनिष्ठ सहायक, 1–1 सहायक उप निरीक्षक तथा 6–6 सिपाही के पदों के साथ ही 100 उप निरीक्षक के पद स्वीकृत किए जाते हैं।

(vi)उपरोक्तानुसार **आबकारी प्रवर्तन एवं निरोधक बल** के अन्तर्गत समेकित रूप में निम्नानुसार कार्यालय होंगे:—

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	संख्या
1.	अतिरिक्त आयुक्त आबकारी प्रवर्तन एवं निरोधक बल जोन	8
2.	उपायुक्त/आबकारी अधिकारी, आबकारी प्रवर्तन एवं निरोधक बल	53
3.	कनिष्ठ आबकारी अधिकारी, आबकारी प्रवर्तन एवं निरोधक बल	286
4.	उपायुक्त (प्रवर्तन), आबकारी प्रवर्तन एवं निरोधक बल	2
5.	उपायुक्त (विधि), आबकारी प्रवर्तन एवं निरोधक बल	2
	कुल	351

3—अन्य कार्यालयों यथा राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, राजस्थान राज्य बेवरेजेज निगम लिमिटेड, आबकारी उत्पादन इकाइयों आदि में आबकारी सेवा के स्वीकृत पद यथावत रहेंगे।

4—उपरोक्तानुसार **आबकारी प्रवर्तन एवं निरोधक बल** के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यालयों में सृजित पदों पर पदस्थापन निम्नानुसार किया जाएगा:—

क्र. सं.	पदनाम	पदस्थापित किये जाने वाले अधिकारी/कार्मिक		
		क्र. सं.	सेवा/कैडर	अर्हता
1	अतिरिक्त आयुक्त आबकारी प्रवर्तन एवं निरोधक बल, जोन	1	आर.ए.एस. केडर से प्रतिनियुक्ति पर (कुल 6)	—
		2	राजस्थान आबकारी सेवा (सामान्य शाखा)— अतिरिक्त आयुक्त आबकारी	—
		3	राजस्थान आबकारी सेवा (निवारक शाखा)— संयुक्त आयुक्त, आबकारी निरोधक दल	—
2	उपायुक्त, आबकारी प्रवर्तन एवं निरोधक बल	1	आर.ए.एस. केडर से प्रतिनियुक्ति (कुल 8)	—
		2	राजस्थान आबकारी सेवा (सामान्य शाखा)— उपायुक्त/जिला आबकारी अधिकारी (वरिष्ठ वेतनमान)	—
		3	राजस्थान आबकारी सेवा (निवारक शाखा)— उपायुक्त, आबकारी निरोधक दल	स्नातक
3	आबकारी अधिकारी,	1	राजस्थान आबकारी सेवा (सामान्य शाखा)— जिला आबकारी अधिकारी (सामान्य वेतनमान)	—

	आबकारी प्रवर्तन एवं निरोधक बल	2	राजस्थान आबकारी सेवा (निवारक शाखा)– आबकारी अधिकारी, आबकारी निरोधक दल	स्नातक
4	सहायक आबकारी अधिकारी, आबकारी प्रवर्तन एवं निरोधक बल	1	राजस्थान आबकारी सेवा (सामान्य शाखा)– सहायक आबकारी अधिकारी	–
		2	राजस्थान आबकारी सेवा (निवारक शाखा)– सहायक आबकारी अधिकारी, आबकारी निरोधक दल	स्नातक
5	कनिष्ठ आबकारी अधिकारी (ग्रेड–I) आबकारी प्रवर्तन एवं निरोधक बल	1	राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा (सामान्य शाखा)– आबकारी निरीक्षक–ग्रेड–I	–
		2	राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा (निवारक शाखा)– प्रहराधिकारी ग्रेड–I, आबकारी निरोधक दल	स्नातक उत्तीर्ण हो एवं प्रहराधिकारी ग्रेड–I, आबकारी निरोधक दल के पद पर न्यूनतम 03 वर्ष का कार्य अनुभव हो।
		3	राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा (निवारक शाखा)– प्रहराधिकारी–ग्रेड–I, आबकारी निरोधक दल	10वीं एवं 12वीं उत्तीर्ण हैं तो प्रहराधिकारी ग्रेड–I, आबकारी निरोधक दल के पद पर न्यूनतम 3 वर्ष के कार्यानुभव के साथ ही विशेष चयन परीक्षा के द्वारा चयनित होने पर
6	कनिष्ठ आबकारी अधिकारी (ग्रेड–II) आबकारी प्रवर्तन एवं निरोधक बल	1	राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा (सामान्य शाखा)– आबकारी निरीक्षक–ग्रेड–II	–
		2	राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा (निवारक शाखा)– प्रहराधिकारी ग्रेड–II, आबकारी निरोधक दल	स्नातक उत्तीर्ण हो एवं प्रहराधिकारी ग्रेड–II, आबकारी निरोधक दल के पद पर न्यूनतम 03 वर्ष का कार्य अनुभव
		3	राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा (निवारक शाखा)– प्रहराधिकारी ग्रेड–II, आबकारी निरोधक दल	10वीं एवं 12वीं उत्तीर्ण हैं तो प्रहराधिकारी ग्रेड–II, आबकारी निरोधक दल के पद पर न्यूनतम 03 वर्ष के कार्य अनुभव के साथ ही विशेष चयन

				परीक्षा के द्वारा चयनित होने पर
7	उप निरीक्षक, आबकारी प्रवर्तन एवं निरोधक बल	1	राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा (निवारक शाखा)– जमादार ग्रेड–I, आबकारी निरोधक दल	–
8	सहायक उप निरीक्षक, आबकारी प्रवर्तन एवं निरोधक बल	1	राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा (सामान्य शाखा)– आबकारी गार्ड–प्रथम श्रेणी	–
		2	राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा (निवारक शाखा)– जमादार ग्रेड–II, आबकारी निरोधक दल	–
9	सिपाही, आबकारी प्रवर्तन एवं निरोधक बल	1	राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा (निवारक शाखा)– सिपाही, आबकारी निरोधक दल	–
		2	राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा (सामान्य शाखा)– आबकारी गार्ड–द्वितीय श्रेणी	–

5–वर्तमान में आबकारी निरोधक दल के अन्तर्गत कार्यरत प्रहराधिकारी–ग्रेड–I एवं प्रहराधिकारी ग्रेड–II जिनकी शैक्षणिक योग्यता 12वीं व 10वीं हैं, उन्हें **विभागीय विशेष चयन नियम** के अन्तर्गत एक लिखित विभागीय परीक्षा एवं साक्षात्कार उत्तीर्ण करने के उपरान्त उनका पदस्थापन कनिष्ठ आबकारी अधिकारी के रूप में किया जायेगा। उक्त अर्हता पूर्ण नहीं होने तक उनका पदस्थापन वृत्तों को छोड़कर अन्य पदस्थापन स्थानों यथा डिस्टलरीज/ब्रेवरीज/रिडक्शन सेन्टर/संभाग स्तरीय/जिला स्तरीय कार्यालयों में किया जायेगा।

6–आबकारी विभाग में वर्तमान में राज्य सेवा व अधीनस्थ सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों के स्वीकृत पदों के आधार पर नवीन **''आबकारी प्रवर्तन एवं निरोधक बल''** के अन्तर्गत अतिरिक्त आयुक्त जोन, उपायुक्त/आबकारी अधिकारी तथा कनिष्ठ आबकारी अधिकारी कार्यालयों में अधिकारियों/कर्मचारियों के पदों का सृजन किया जाएगा। इसी प्रकार सभी कार्यालयों में मंत्रालयिक संवर्ग के पद भी सृजित किये जाएंगे। वर्तमान में स्वीकृत पदों के अतिरिक्त पदों की आवश्यकता होने पर पृथक से प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाएंगे।

7–**''आबकारी प्रवर्तन एवं निरोधक बल''** के अधीन पदस्थापित अधिकारियों/कार्मिकों द्वारा अवैध मदिरा के उत्पादन एवं व्यवसाय पर नियंत्रण के साथ ही, वैध मदिरा के उत्पादन, भण्डारण, परिवहन एवं विक्रय की प्रक्रिया के नियमन का कार्य किया जाएगा जिसके लिये राजस्थान आबकारी अधिनियम एवं नियमों के अन्तर्गत जरिए अधिसूचना उन्हें आवश्यक अधिकार प्रदान किये जायेंगे।

8–अतिरिक्त आयुक्त जोन तथा उपायुक्त/आबकारी अधिकारी कार्यालयों के क्षेत्राधिकार निर्धारण हेतु राज्य सरकार द्वारा राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 के अन्तर्गत अधिसूचना जारी की जाएगी। कनिष्ठ आबकारी अधिकारी कार्यालयों के लिये आबकारी आयुक्त द्वारा क्षेत्राधिकार निर्धारण की अधिसूचना जारी की जायेगी।

9–**''आबकारी प्रवर्तन एवं निरोधक बल''** के गठन के उपरान्त आबकारी विभाग में वर्तमान सेवा नियमों अर्थात् राजस्थान आबकारी सेवा (सामान्य शाखा) नियम 1974, राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा (सामान्य शाखा) नियम 1974, राजस्थान आबकारी (निवारक अधिकारी) सेवा नियम 1967 एवं राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा (निवारक शाखा) नियम, 1976 के अन्तर्गत सीधी भर्ती के पदों पर नवीन नियुक्ति नहीं की जायेगी। उपर्युक्त सेवाओं में पदोन्नति हेतु स्वीकृत पदों की संख्या यथावत रखते हुए उन पर नियमानुसार पदोन्नति की कार्यवाही यथावत की जाती रहेगी।

10—नवीन प्रशासनिक व्यवस्था के अन्तर्गत ''**आबकारी प्रवर्तन एवं निरोधक बल**'' के लिये राज्य सेवा एवं अधीनस्थ सेवा के नये सेवा नियम बनाये जाकर इनके अन्तर्गत ही नवीन भर्तियां की जाएगी।

यह आज्ञा वित्त (व्यय—3) विभाग की आई.डी. संख्या 242400147 दिनांक 19.12.2024 से प्राप्त सहमति के अधीन जारी की जाती है।

आज्ञा से,

(वरूण मिश्रा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
2. उप शासन सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
3. पुलिस महानिदेशक, राजस्थान।
4. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
5. उप शासन सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त।
6. उप शासन सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व)।
7. आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर।
8. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
9. समस्त संभागीय पुलिस महानिरीक्षक, राजस्थान।
10. समस्त जिला क्लेक्टर्स, राजस्थान।
11. समस्त पुलिस अधीक्षक, राजस्थान।
12. समस्त अतिरिक्त आयुक्त जोन, आबकारी विभाग, राजस्थान।
13. समस्त जिला आबकारी अधिकारी, राजस्थान।
14. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग को वित्त विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
15. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव